(3)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.1.20 अधिवक्तागण उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य/ड्यूटी व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 27.2.20 को पेश हो।	
27-2-20 वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस हेतु प्रमाण पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 3-3-20 को पेश हो।	
03.03.2020 उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित बहस सुनी गई बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया जाकर रास्ता के सन्दर्भ में मौका निरीक्षण किया गया मौके पर उभयपक्ष उपस्थित मिले उभयपक्ष द्वारा मौके पर कथन किया कि पक्षकारान का राजीनामा हो चुका है, राजीनामा की प्रति भी पेश की गई। उभयपक्ष द्वारा राजीनामा के अनुसार रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।	मंगपालसिंह मंगलसिंह बलवन्तसिंह
राजीनामा को शामिल पत्रावली किया जाकर राजीनामा का अवलोकन किया गया मुताबिक राजीनामा मंगपालसिंह ने चक 4 जे.आर.के. पत्थर नम्बर 98/244 (40) के किला नम्बर 9 में से 32 फुट चौड़ी जगह पश्चिम की तरफ उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बाबत रास्ता मिकर की ओर छोड़ दी है, व उक्त भूमि की एवज मे मिकर ने चक 4 जे.आर. के. के पत्थर नम्बर 98/244 (40) के किला नम्बर 5 में से 10 फुट जगह पूर्व की तरफ उत्तर से दक्षिण की ओर चौडा रास्ता हेतु उक्त आराजी अपनें भतीजे मंगपाल सिंह को छोड़ दी है। अब हम दोनों पक्षों के दरम्यान कोई विवाद नही है।	
मौका पर पक्षकारान के मध्य राजीनामा होनें से तथा किसी प्रकार का कोई विवाद नही होनें से प्रार्थना-पत्र 251-ए आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन हेतु मुताबिक राजीनामा चक 4 जे.आर.के. के पत्थर नम्बर 98/244 (40) के किला नम्बर 5 में से 10 फुट चौडाई में पूर्व की तरफ उत्तर से दक्षिण की ओर चौडा रास्ता हेतु गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ते की भूमि के बदले अप्रार्थी को मुआवजा स्वरूप प्रार्थी मंगपालसिंह की खातेदारी भूमि चक 4 जे.आर.के. के पत्थर नम्बर 98/244 (40) के किला नम्बर 9 में से 32 फुट चौडी जगह पश्चिम की तरफ उत्तर से दक्षिण दिशा की और अप्रार्थी बलवन्तसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।	
तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है, कि उक्तानुसार स्वीकृत किये गये गैर मुमकिन रास्ता तथा रास्ते के मुआवजा स्वरूप दी गई भूमि का अंकन राजस्व रिकार्ड किया जाना सुनिश्चित करें।	
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। तहसीलदार हनुमानगढ़ को निर्णय की प्रति पालना हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली नम्बर से कम जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
(कपिल यादव) उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.04.07 23:19:12 IST
Reason: SelfAttested